

दिनांक:–20.11.2025

अभियुक्त राहूल कुमार की हाजरी दी गयी। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त राहूल कुमार की ओर से बकाया न्यायशुल्क टिकट मो0 80/- रुपया दाखिल किया गया।

वाद अभिलेख आज निर्णय के लिए नियत है। निर्णय तैयार है, जो अभिलेख के साथ 12 पृथक पृष्ठों में संलग्न है। अभियुक्त राहूल कुमार को धारा 498A भा. द. वि. से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त तथा उनके जमानतदारों को बन्धपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय परिणाम विचारण पंजी में दर्ज करें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

Sd/-

रितु कुजूर
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी,
जमशेदपुर
J.O. Code JH00701